संख्या:149/2026/933/35-4-2026/35-4002(003)/56/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ। दिनांक:27 मई, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य के निरस्तीकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश सं0-31/2026/507/35-4-2026/35-4002(003)/56/2026 दिनांक 29 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यों की स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2026 द्वारा स्वीकृत कार्यों में क्रमांक-59 पर अंकित कार्य ग्राम गढी नौआबाद में पप्पू पुत्र रामफल के मकान से शिकारपुर की ओर काली सडक तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य (लम्बाई-500 मी0) की रू. 45.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 23.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0-31/2026/507/35-4-2026/35-4002(003)/56/2026 दिनांक 29 मार्च, 2026 के क्रमांक-59 पर अंकित कार्य ग्राम गढी नौआबाद में पप्पू पुत्र रामफल के मकान से शिकारपुर की ओर काली सडक तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य (लम्बाई-500 मी0, लागत रू. 45.00 लाख) अन्य योजना से हो जाने के कारण एतदद्वारा उक्त कार्य की स्वीकृति को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0-31/2026/507/35-4-2026/35-4002(003)/56/2026 दिनांक 29 मार्च, 2026 द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त सन्दर्भित कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष के सुसंगत खाते में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति सहित सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:149/2026/933(1)/35-4-2026/35-4002(003)/56/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, सहारनपुर।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ०प्र०।
10- मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
11-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मुजफ्फरनगर।
15-अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मुजफ्फरनगर।
16-सम्बंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।